पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 62/2024 दिनांक- 22.02.2024

प्रेस- नोट

थाना कन्धरापुर

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 16.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लडकी को अभियुक्त सुरेन्द्र यादव ने पीछा करते हुए छेडखानी किया तथा वादी मुकदमा द्वारा मना करने पर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव व उसके साथियों ने वादी के भांजे को गाली देते हुये मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 323/504/506/34/354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम सुरेन्द्र यादव पुत्र लालधर यादव नि0 कादीपुर खुदकास्त थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ 2. अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 354ख भादवि का लोप करते हुए धारा 376 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 22.02.2024 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र लालधारी यादव निवासी कादीपुर खुदकास्त थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष को कादीपुर खुदकास्त से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 45/2024 धारा 323/504/506/376 भा.द.वि. व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- सुरेन्द्र यादव पुत्र लालधारी यादव निवासी कादीपुर खुदकास्त थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अजय कुमार सिंह, का0 सुरेन्द्र कुमार पाल थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना- रौनापार

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक- 17.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त करन राजभर पुत्र रामप्रसाद राजभर ने वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/24 धारा 376 भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट बनाम करन राजभर पुत्र रामप्रसाद राजभर साकिन आराजी देवारा करखिया महडौर का पुरा थाना रौनापार आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 22.02.24 को थानाध्यक्ष रौनापार विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त करन राजभर पुत्र रामप्रसाद राजभर साकिन आराजी देवारा करखिया महडौर का पुरा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को निबिहवा ढाला से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 67/24 धारा 376 भादवि व 5J(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-करन राजभर पुत्र रामप्रसाद राजभर साकिन आराजी देवारा करखिया महडौर का पुरा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य का0 अखिलेश पाण्डेय का0 मनीष कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 18.01.2024 को वादी मिथुन गौतम निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षियों प्रदीप पुत्र केसरे, संदीप पुत्र केसरे, पूजा पुत्री प्रदीप, रीता पत्नी प्रदीप, सुमन पत्नी संदीप समस्त निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद ने मिट्टी पाटने व पानी डालने की बात को लेकर वादी मुकदमा के परिवार जनो को गाली गलौज देते हुए जाने से मारने की नियत से मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/24 धारा 307,504,34 IPC बनाम 1. प्रदीप पुत्र केसरे 2. संदीप पुत्र केसरे 3. पूजा पुत्री प्रदीप 4. रीता पत्नी प्रदीप 5. सुमन पत्नी संदीप समस्त निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी द्वारा की जा रही थी।

➡ दिनांक 19.01.2024 को अभियुक्तों 1. रीता पत्नी प्रदीप 2. सुमन पत्नी संदीप 3. प्रदीप पुत्र केसरे समस्त निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद आजमगढ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 22.02.2024 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र केसरे निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को बडागाँव नहर पुलिया के पास से समय करीब 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 29/24 धारा 302,307, 504,34 IPC थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संदीप पुत्र केसरे निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. SO सच्चिदानन्द यादव 2. हे0का0 प्रदीप पाण्डेय 3. का0 सुशील कुमार 4. चालक हे0का0 ज्ञानधारी थाना निजामाबाद, आजमगढ़

प्रेस नोट

दिनांक 22.02.2024 दोपहर 12:00 बजे महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय लखनऊ के निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों के प्रत्येक थाने के महिला हेल्प डेस्क पर निशुल्क विधिक सहायता (Free Legal- aid) संवैधानिक अधिकार का पोस्टर लांच किया जिस कड़ी में जनपद आजमगढ़ में शुभम अग्रवाल सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना कोतवाली शहर में पोस्टर का अनावरण किया गया एवं उनके द्वारा सभी को बताया गया कि निशुल्क विधिक सहायता (Free Legal- aid) संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है I इसके अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के अपराध में निशुल्क विधि सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है I निःशुल्क विधि सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के अनेक चरणों से संबंधित कतिपय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, उदाहरणार्थ 1. कानूनी कार्य हेतु वकील की सुविधा 2. कोर्ट फीस या अन्य कार्य में लगने वाले व्यय हेतु 3. विधिक दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील आदि की सुविधा 4. पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी 5. कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतिया प्राप्त करने हेतु समाज के सभी कमजोर व गरीब वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान जाती है।